

कार्यालय तहसीलदार भौंगेल ..... जिला कारारी ..... (राजस्थान)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/आदिम जाति के उम्मीदवारों द्वारा  
अपने दावे केन्द्रों में प्रस्तुत किये जाने वाला

## जाति प्रमाण-पत्र

क्रमांक ४८९०

दिनांक १२-१८-१५

प्रार्थी / प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना- पत्र, शपथ-पत्र, एवं हल्का  
पटवारी लिखाया ..... की अनुशंसा पर प्रमाणित किया जाता है कि  
श्री/सुश्री/श्रीमती गोविन्द कुमार कर्मा .....  
पुत्र/पुत्री/पति श्री गोप्तवीलाल केरवा ..... निवासी पटपड़ा .....  
तहसील भौंगेल ..... जिला कारारी ..... डिवीजन लोटा .....  
राज्य राजस्थान जाति चैरबा ..... ८६८०० ..... समुदाय के सदस्य हैं  
जो कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /आदिम जाति (सूची) संशोधन  
अधिनियम 1956, संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश 1956,  
संविधान अण्डमान व निकोबार अनुसूचित जाति आदेश 1956 के अन्तर्गत एक  
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/आदिम जाति मानी जा चुकी है,  
श्री/सुश्री/श्रीमती गोविन्द कुमार कर्मा ..... और या उसका कुटुम्ब  
राजस्थान राज्य के जिला कारारी ..... में तहसील भौंगेल ..... के  
साधारणतः ग्राम/शहर पटपड़ा ..... के निवासी हैं।



तहसीलदार  
कारारी जिला बाली

हस्ताक्षर

(कार्यालय की भीहर लाहित)  
राज्य संघ राज्य सेवा

नोट : यहाँ प्रदान किये साधारणतः निवासी का अर्थ यही होगा जो कि रिप्रजेन्टेशन आफ  
दी पीपुल्स एक्ट 1950 की धारा 20 में है।